है। अतः प्रकरण लोक अदालत में स्थगित किया जाता है। पश्चात दिनांक 29/5/18 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित हों।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

2017/00149

16/5/18 वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पंत्रावली आज ही तलब कर प्रार्थना पत्र विड्रो करने वाक्ते पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी अब आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है। तथा प्रार्थना पत्र विड्रो करना चाहता है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र विड्रो करने के आदेश प्रदान करावे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी अर्थात पत्र का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थना पत्र धारा 2।2 पर कार्यवाही ड्रोप करने के आदेश पारित किये जाते है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है। बाद दफ्तर दाखिल हो।

(सुरेश चावला)
उप. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 12:44:37 IST
Reason: SelfAttested